सिंगिल यूज़ प्लास्टिक के विलोपन के लिये गठित टास्क फोर्स की दूसरी बैठक संपन्न

चर्चा में क्यों?

13 सितंबर, 2022 को प्रदेश में सिंगिल यूज़ प्लास्टिक के विलोपन के लिये गठित टास्क फोर्स की दूसरी बैठक मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई। बैठक में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के तहत एकल उपयोग प्लास्टिक के विलोपन की कार्ययोजना पर व्यापक चर्चा हुई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में सिंगिल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर कार्यवाही करने तथा विकल्प के रूप में कागज़ के बैग, प्लेट, दोना-पत्तल का उपयोग करने के लिये जन-सामान्य को प्रेरित करने पर चर्चा हुई।
- बैठक में राज्य के औद्योगिक संस्थानों एवं विभागों को सिंगिल यूज़ प्लास्टिक के विकल्प तलाशने, देश के अन्य राज्यों में लागू सर्वोत्तम व्यावहारिक तरीकों को छत्तीसगढ़ में लागू करने पर विशेष बल दिया गया।
- मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभिन्न वैवाहिक आयोजन स्थलों में सिंगिल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने एवं इसके विकल्प के रूप में नगरीय क्षेत्रों में स्थापित बर्तन बैंक से ज़रूरी सामान, बर्तन लेने की लोगों को समझाइश दी जाए। दोना-पत्तल के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।
- मुख्य सचिव ने आगामी दिनों में आयोजित होने वाले विभिन्न सार्वजनिक उत्सवों में सिंगिल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिये आयोजन समितियों को समझाइश दिये जाने की बात कही।
- गौरतलब है कि आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा प्लास्टिक के कैरीबैग के अतिरिक्त अल्प जीवन पीवीसी क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक, अर्थात् विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री (पी.वी.सी. के बैनर फ्लेक्स, होर्डिंग्स, फोम बोर्ड आदि) तथा खानपान के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुएँ कप, ग्लास, प्लेट, कटोरी-चम्मच का विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिबंधित किया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/second-meeting-of-task-force-set-up-for-elimination-of-single-use-plastic